

उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6
संख्या- 11/2017/692/29-6-2017-115सा/14
लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) के नियम-3(1)(ग) तथा नियम-6 में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय ज्ञाप संख्या-88/29-6-2017, दिनांक 12-01-2017 द्वारा श्री डी०सी०मिश्र, सदस्य राज्य खाद्य आयोग को सदस्य सचिव का कार्य सम्पादित करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप को अवक्रमित करते हुए श्री वेद प्रकाश शर्मा, संयुक्त सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र०शासन को उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त किया जाता है।

2- श्री शर्मा यह कार्य अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

बाल कृष्ण त्रिपाठी
विशेष सचिव ।

संख्या-11/2017/692(1)/29-6-2017तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र०राज्य खाद्य आयोग, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- अपर आयुक्त(विपणन), खाद्य एवं रसद /समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उ०प्र०।
- 4- अपर आयुक्त(आपूर्ति), खाद्य एवं रसद /समस्त संयुक्त आयुक्त, खाद्य/उपायुक्त, खाद्य/ जिलापूर्ति अधिकारी।
- 5- सम्बन्धित अधिकारी।
- 6- निजी सचिव, मा०राज्य मंत्री, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।